

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सतर्कता प्रभाग

परिपत्र सं. 2/2005

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त महत्वपूर्ण परिपत्रों को आरईसी के इंटरनेट सर्वर पर कारपोरेट एलएएन उपभोक्ताओं (<http://10.0.0.2/recnet>) और परियोजना कार्यालयों/सायर, हैदराबाद द्वारा उपयोग करने के लिए क्रमशः (<http://10.0.0.2/recnet>) एवं (<http://recindia.com/recnet>) पर रखा जा रहा है ।

2. मुख्य सतर्कता आयुक्त से विभिन्न विषयों पर परिपत्र प्राप्त हो रहे हैं तथा कुछ दिशा-निर्देशों के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इन परिपत्रों को संगठन के संबंधित अधिकारियों के लिए परिचालित करने का भी सुझाव दिया है ।

3. अतः सलाह दी जाती है कि इन परिपत्रों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें ।

4. कृपया इस परिपत्र की पावती दें ।

इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

ह0/-

(रमेश कोडे)

संयुक्त मुख्याधिकारी (सतर्कता)

दिनांक 09 अगस्त, 2005

सं. आरईसी/सतर्कता/11(60)/2005/143

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक (आई/ए-ईएपी/पर्स)/कार्यकारी निदेशक (बीडी एवं प्रशा.)/कार्यकारी निदेशक (टीएंडडी)

महाप्रबंधक (विद्युत उत्पादन)/महाप्रबंधक (वित्त-1)/महाप्रबंधक (वित्त-11)/महाप्रबंधक (विधि/कंपनी सचिव)

प्रभागों के सभी मुख्याधिकारी/संयुक्त मुख्याधिकारी/उप मुख्याधिकारी (हिन्दी)

सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक/अपर निदेशक, सायर, हैदराबाद

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निजी सचिव/निदेशक (वित्त) के सहायक निदेशक/निदेशक
(तकनीकी) निजी सचिव, आरईसी

सभी नोटिस बोर्ड/मास्टर कापी/कार्यालय प्रति